

सं. 6/2/2009-स्था.(वेतन-।) (खण्ड-॥)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 15 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के सेवकों द्वारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद के कार्यक्रमों में भागीदारी के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 18 मई, 2010 के का.जा.सं. 6/2/2009-वेतन-। का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूद के कार्यक्रमों (व्यक्तिगत/दल) में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन से उत्कृष्टता प्राप्त किया हुआ माना जाएगा, यदि उन्होंने उन खेल कार्यक्रमों में भाग लिया है जिसमें तीन से अधिक व्यक्तियों या दलों ने भाग लिया है और उसमें प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान हासिल किया है। यदि किसी खेल कार्यक्रम के फाइनल में केवल तीन या कम व्यक्तियों या दलों ने भाग लिया है तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी/दल को उत्कृष्टता प्राप्त माना जाएगा।

2. दिनांक 18.05.2010 के का.जा. में प्रयुक्त शब्द 'फाइनल' और साथ ही ऐथलेटिक/समकक्ष और गैर-ऐथलेटिक/समकक्ष खेल कार्यक्रमों में अंतर करने से संबंधित प्रश्न सरकार के ध्यान में लाया गया है। इस मामले की जांच की गई और राष्ट्रपति, प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित के अनुसार शर्तें निर्धारित करते हैं:-

- i. ऐथलेटिक/समकक्ष खेल कार्यक्रमों के मामले में जिन पर सामान्यतः खेल की अंतिम स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाता है और जिसमें स्तर संबंधी संकल्पना अर्थात् फाइनल, सेमी फाइनल नहीं होते और जो एक बार में ही संपन्न होते हैं, वहां 'फाइनल' नहीं होगा। तीन व्यक्ति/दल जो प्रथम तीन स्थान प्राप्त करते हैं को प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उत्कृष्टता प्राप्त माना जाएगा यदि तीन से अधिक व्यक्तियों/दलों ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल कार्यक्रमों में भाग लिया है। तथापि, यह लाभ केवल उस व्यक्ति/दल को ही अनुमेय होगा जो प्रथम स्थान हासिल करते हैं, यदि खेलकूद के कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों/दलों की संख्या तीन या दो हो।
- ii. गैर-ऐथलेटिक/समकक्ष खेल कार्यक्रमों के मामले में जिसमें स्तर संबंधी संकल्पना शामिल होती है और खेल पद्धति में 1 स्वर्ण + 1 रजत + 1 कांस्य पदक प्रदान करने का प्रावधान होता है:-

ऐसे व्यक्ति/दलों के सदस्य जो फाइनल में क्रमशः प्रथम और द्वितीय (अर्थात् स्वर्ण और रजत पदक) स्थान हासिल करते हैं और वह व्यक्ति/दल के सदस्य जो तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं और जिनको कांस्य पदक प्रदान किया गया है, को प्रोत्साहन वेतन

वृद्धि प्रदान किए जाने के प्रयोजन से उत्कृष्टता प्राप्त माना जाएगा, यदि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल कार्यक्रमों में तीन से अधिक व्यक्ति/दलों ने भाग लिया हो। हालांकि, यदि किसी खेल कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों/दलों की संख्या तीन या दो होती है तो यह लाभ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति/दल के सदस्यों को ही अनुमेय होगा।

- iii. गैर-एथलेटिक/समकक्ष खेल कार्यक्रमों में, जिनमें स्तर संबंधी संकल्पना शामिल होती है और खेल पद्धति में 1 स्वर्ण + 1 रजत + 2 कांस्य पदक प्रदान करने का प्रावधान होता है और कांस्य पदक के लिए कोई “प्ले ऑफ” मैच नहीं होता और जिसे सेमी फाइनल में पहुंच कर, हारने वाली दोनों टीमों को प्रदान किया जाता है:-

ऐसे व्यक्ति/दलों के सदस्य जो फाइनल में क्रमशः प्रथम और द्वितीय (अर्थात् स्वर्ण और रजत पदक) स्थान हासिल करते हैं और सेमी फाइनल में पहुंच कर हारने वाले व्यक्ति/दलों के सदस्य जिनको कांस्य पदक प्रदान किए गए हैं (अर्थात् तृतीय स्थान दोनों सेमी फाइनलिस्टों के बीच ‘टाई’ हो जाता है) को प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के प्रयोजन से उत्कृष्टता प्राप्त माना जाएगा, यदि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल कार्यक्रमों में चार से अधिक व्यक्तियों/टीमों ने भाग लिया हो। हालांकि, यदि किसी खेल कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों/टीमों की संख्या चार या तीन या दो होती है तो यह लाभ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति/दल के सदस्यों को ही अनुमेय होगा।

3. ये आदेश दिनांक 18 मई, 2010 के का.जा. सं. 6/2/2009-वेतन-। के अधिक्रमण में हैं। दिनांक 16 जुलाई, 1985 के का.जा. सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-।) और इस विषय पर जारी अनुवर्ती आदेशों में यथा समाहित प्रावधान लागू होते रहेंगे। पिछले मामलों में भी तदनुसार निर्णय लिया जा सकता है।


(पुष्पेन्द्र कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 230940287

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। इस का.जा. को इस विभाग की वेबसाइट पर का.जा. एवं आदेश->स्थापना->वेतन नियम और “नया क्या है” शीर्षक के अधीन अपलोड करने के लिए